बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :–6/प्राक्क01–106/2026– 1395 पटना, दिनांक :– 16.10.26

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः–राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में वैशाली जिलान्तर्गत भू–जल अपर्याप्तता से प्रभावित महुआ एवं चेहराकलां प्रखंड अन्तर्गत कुल 36 पंचायत के 493 वार्डों में पेयजलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु गंगा नदी के सतही जल के उपयोग से बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना (72 MLD) के निर्माण तथा 5 (पाँच) वर्षों तक परिचालन एवं रख–रखाव (O&M) हेतु 506.71 करोड़ रूपये (पाँच सौ छः करोड़ एकहत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश– राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में वैशाली जिलान्तर्गत भू–जल की अपर्याप्तता से प्रभावित महुआ एवं चेहराकलां प्रखंड अन्तर्गत कुल 36 पंचायत के 493 वार्डों में पेयजलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु गंगा नदी के सतही जल के उपयोग से बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना (72 MLD) के निर्माण तथा 5 (पाँच) वर्षों तक परिचालन एवं रख–रखाव (O&M) हेतु 506.71 करोड़ रूपये (पाँच सौ छः करोड़ एकहत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वैशाली जिलान्तर्गत भू–जल की अनुपलब्धता से प्रभावित महुआ एवं चेहराकलां प्रखंड अन्तर्गत कुल 36 पंचायत के 493 वार्डों में पेयजलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु गंगा नदी के सतही जल के उपयोग से बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना (72 MLD) के निर्माण का लक्ष्य है। उक्त भूजल की अनुपलब्धता के कारण से **"हर घर नल का जल"** योजना अंतर्गत निर्मित वार्ड आधारित जलापर्ति योजना (WLS) एवं पाईप्ड जलापूर्ति योजना (PWS) से पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति करने एवं इसकी प्रभावशीलता बनाये रखने में कठिनाई हो रही है।

3. इस योजना के अंतर्गत फ्लोटिंग जेटी, रॉ–वाटर पाईप लाईन, वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट, क्लीयर वाटर सम्प, मास्टर/जोनल इलिवेटेड सर्विस रिजरवायर, मोटर पम्पों का अधिष्ठापन, राईजिंग मेन एवं डिस्ट्रीब्युशन पाईप लाईन, विद्युत संयोजन कार्य एवं ट्रासफार्मर अधिष्ठापन अप्रोच रोड निर्माण आदि का कार्य मुख्यतः किया जाना है। योजना के पूर्ण एवं चालू होने के उपरान्त 3 माह की ट्रायल रन अवधि समाप्त होने के पश्चात् योजना का संचालन एवं रख–रखाव का कार्य अगले 5 (पाँच) वर्षों तक क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा ही कराया जाना है, जिसके व्यय हेतु राशि का प्रावधान योजना की कुल प्राक्कलित राशि **506.71 करोड़ रूपये (पाँच सौ छः करोड़ एकहत्तर लाख रूपये) मात्र** में शामिल है। इस योजना का तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियंता, रूपांकण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रदत्त है। इस योजना का निर्माण कार्य दो वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

4. इस योजना पर होने वाले व्यय का वहन बजट शीर्ष (i) मुख्य शीर्ष–4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष–01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–102 ग्रामीण जल पूर्ति– उपशीर्ष–0133–मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड–36– 4215–01–102–0133, विषय शीर्ष–53–01 (ii) मुख्य शीर्ष–4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष–01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के

लिए विशेष घटक योजना– उपशीर्ष–0115–मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड–36– 4215–01–789–0115, विषय शीर्ष–53–01 (iii) मुख्य शीर्ष–4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्य शीर्ष–01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना– उपशीर्ष–0120– मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड–36– 4215–01–796–0120 विषय शीर्ष–53–01 अंतर्गत भारितव्य होगा तथा (iv) **योजना के परिचालन एवं रख–रखाव पर** होने वाला व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई –उपमुख्य शीर्ष–01 – जल पूर्ति– लघु शीर्ष–102– ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम– उपशीर्ष–0107–ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रखरखाव–सात निश्चय–2 विपत्र कोड–36– 2215–01–102–0107 विषय शीर्ष–27–02 अनुरक्षण एवं मरम्मति मतदेय शीर्ष अंतर्गत भारितव्य होगा।

5. इस योजना का सूत्रण कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर द्वारा उचित माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन के आधार पर किया गया है।

6. स्थलीय सर्वेक्षण के उपरांत योजना का विस्तृत प्राक्कलन प्रतिवेदन (DPR) तैयार कर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति के उपरांत E-Proc-2.0 के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जाएगा।

7. जलापूर्ति योजनाओं का संचालन, संपोषण एवं मरम्मति का कार्य विभागीय संकल्प संख्या 543, दिनांक 28.06.2021 द्वारा प्रावधानित अनुरक्षण अनुदेशों के अनुरूप संपादित किया जायेगा।

8. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक ही सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी/बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

10. इस योजना का मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण की जवाबदेही मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) की होगी।

11. क्षेत्रीय स्तर पर अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के कार्यान्वयन के क्रम में नियमित अनुश्रवण/निरीक्षण करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं मुख्यालय को जरूर भेजेंगे तथा त्रुटियों का निराकरण भी ससमय सुनिश्चित करायेंगे।

12. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

13. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

14. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

15. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007/3758/वि0, दिनांक–31–05–17 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

16. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

Q/

17. यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गई है, अन्य मद में नहीं।

18. वर्ष 2026–27 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

19. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–12.10.2026 में मद संख्या–17 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

20. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

16/10/2026

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक–6/प्राक्क01–106/2026– 1395 पटना, दिनांकः– 16.10.26

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/जिला पदाधिकारी, वैशाली/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर /अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार/ संयुक्त निदेशक, जल जीवन मिशन/ मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी बिहार)/ मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/ मुख्य अभियन्ता (याँत्रिक)/विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/बजट पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो0–2)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/उप निदेशक (अने0)/कार्यपालक अभियंता (मो0–1)/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपा0 एवं योजना प्रमंडल सं0–10/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल सं0–2 एवं 3/प्रशाखा पदाधिकारी–4, 6, 12, 14 एवं 15/कार्यवाहक सहायक प्रशााखा पदाधिकारी–6/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16/10/26

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)